

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>१७/३/२६</p>	<p>पत्रावली में ... स्थानिक को ... मीडिंग / बाहर / अरकाब में। पत्रावली वास्ते <u>बैट</u> दिनांक <u>३०/३/२६</u> को बंद हो। <u>5</u></p>	
<p>३०/३/२६</p>	<p>पत्रा. पेश। बटस पूर्व में चुनी जा चुकी है। चुनी है। वादी का कथन है कि बट और प्रति ५ प्रसरा १८३०/१८३१ रकबा ०.१ हेक्टर पर पच्चार हलका मौडक लैडलील चैचेट के १/२ हिस्सा के आलेदार है। प्रति १-३ उनके हिस्से की आराजी पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रति ५ बिना विभाजन किए अपने हिस्से का बेचान कर रहे हैं। अतः दोनो के खिलाफ उर्दे अस्थाई निषेधाज्ञा मिले। प्रतिवादी ५ का वादग्रस्त प्रसरे में १/२ हिस्सा दर्ज है। आलेदार विभाजन के बिना ही अपने हिस्से का बेचान कर सकता है। अतः प्रति ५ के विरुद्ध वादी की अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिल सकती। प्रति १-३ का शक्ति पर कोई प्र</p>	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुकम की में जा</p>
	<p>अधिकार नहीं हैं प्रति 1-3 बावजूद तलबी जवाब पैरा नहीं किया गया। अतः प्रति 1-3 खाली को उगके मूनि से उपयोग करने में बाधा न उत्पन्न करें।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को सुनाया गया। पत्रावली फंसल सुमार हैकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;"> <u>Che</u> 30/3/26 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी </p>	